अनवान

बाबूलाल बनाम श्रीमती कमली वगैराह

दिनांक 20—04—2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, द्वितीय जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 15/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया गया है।

अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, द्वितीय जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया। जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील प्रकरण मे किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही समझते है। अतः रेस्पो0 के सम्मन जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली आयंदा सुनवाई हेतु दिनांक 18.05.2023 को पेश हो।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

18/5/23 वकिल करीकन हाजिर । पूर्व आदेशानुसार आटरा ... कोर्ड बाबत कार्यवाही की जाकर दि. 25/8/23 को पेश हो ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

25.8.23 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील में "Not Press" अंकित किया है। तथा निवेदन किया कि अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः अपीलान्ट के निवेदन पर अपील को इस आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निस्तारण नम्बर से कम हो।

Not Press
(Advocate for Appellant)